

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 10]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 7 जनवरी 2025—पौष 17, शक 1946

सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 7 जनवरी 2025

क्र. एफ-1-5-5-12-2024-छब्बीस-1.—दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) की धारा 101 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 के नियम 17 के उपबंधों के अधीन दिव्यांगजन के लिए पदों के चिन्हांकन के लिए समिति, एतद्द्वारा, अनुसूची-एक में महिला एवं बाल विकास विभाग की स्थापना में, अनुसूची-दो में विहित विशिष्टियों के अनुसार दिव्यांगजन के लिये आरक्षित पद चिन्हांकित करती है :-

अनुसूची-एक

(1) महिला एवं बाल विकास विभाग

अनुसूची-“दो”
दिव्यांगजनों के लिये चिन्हांकित पदों की जानकारी

विभाग का नाम :- महिला एवं बाल विकास विभाग (मिशन वात्सल्य)

पद की श्रेणी	पद/सर्वग का नाम	सौधी शर्तों के कुल स्वीकृत पद	सौधी शर्तों के द्वारा भरे हुये पद	रिक्त पद (3-3b)	निशक्तजनों के लिए चिन्हांकित पदों की कुल संख्या का कुल योग (8%)	दृष्टि बाधित और कम दृष्टि (1.5%) चिन्हांकित पद	रिक्त पद	भरे पद	रिक्त पद	भरे पद	रिक्त पद	भरे पद	रिक्त पद	भरे पद	ऑटिज्म, नौटिक दिव्यांगता, स्पीचिक लॉगिंग डिसेबिलिटी और मानसिक बीमारी और बहु-विकलांगता (1.5%)	रिक्त पद	भरे पद	रिक्त पद	भरे पद	कुल योग (6+8+11+14)	कुल भरे पद (6+8+12+15)	कुल रिक्त पद (7+10+13+16)	रिक्त पदों की पूर्ति का तक जायेगी
1	2	3	3(a)	3(b)	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
तृतीय	परियोजना समन्वयक (संविदा)	51	0	51	3	1	0	1	1	0	1	0	0	0	1	0	1	3	0	3	0		
तृतीय	परामर्शदाता (संविदा)	51	0	51	3	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0	3	0	3	0		
तृतीय	बाल हेल्थलाईन पर्यवेक्षक (संविदा)	180	0	180	11	3	0	3	3	0	3	3	0	3	2	0	2	11	0	11	0		
तृतीय	केस वर्कर (संविदा)	180	0	180	11	3	0	3	3	0	3	2	0	2	3	0	3	11	0	11	0		
	योग	462	0	462	28	8	0	8	8	0	8	6	0	6	6	0	6	28	0	28	0		

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अंकिता धाकरे, उपसचिव.